

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक १०१ / वित्त / ब-४ / २०१६  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक १४.९.२०१६

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
मंत्रालय, नया रायपुर

विषय:- वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ का बजट कार्यक्रम  
संदर्भ:- वित्त विभाग का पत्र क्रमांक ५१२ / वित्त / ब-४ / २०१६ दिनांक  
१८ जुलाई, २०१६

संदर्भित ज्ञापन द्वारा वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ का बजट कार्यक्रम प्रेषित किया गया था। बजट कार्यक्रम के बिंदु क्रमांक ४ के पश्चात आंशिक संशोधन करते हुए संशोधित बजट कार्यक्रम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

*KPI*  
(कमलप्रीत सिंह)  
विशेष सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक १०२ / वित्त / ब-४ / २०१६  
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक १४.९.२०१६

१. समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी, छत्तीसगढ़
२. सचिव / समस्त विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक
३. समस्त संयुक्त सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग
४. अवर सचिव / शोध अधिकारी / समस्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग
५. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
६. कम्प्यूटर शाखा, वित्त विभाग को वित्त विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु

*Arvind*  
(अरविन्द कुजूर)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

## 2017-2018 का बजट कार्यक्रम

1.	26 सितंबर, 2016 से 01 अक्टूबर, 2016 तक	राजस्व प्राप्तियां/वसूली के बजट प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों के साथ (विभागाध्यक्ष एवं उपसचिव/संयुक्त सचिव) चर्चा
2.	10 अक्टूबर, 2016	बजट प्रस्ताव वर्ष 2017-18 के वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि (प्रपत्र पृथक से उपलब्ध कराया जाएगा)
3.	07 नवम्बर, 2016 से 26 नवम्बर, 2016 तक	बजट प्रस्ताव वर्ष 2017-18 पर प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों के साथ (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव/संयुक्त सचिव) चर्चा
4.	12 दिसंबर, 2016 से 24 दिसम्बर, 2016 तक	वित्त सचिव द्वारा अन्य विभाग के सचिवों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा (नवीन मद के प्रस्ताव सहित)
5.	24 दिसम्बर 2016	माननीय वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण हेतु सामग्री, परिणामी, जेंडर तथा आफ बजट 2017-18 प्राप्त होने की अंतिम तिथि
6.	09 जनवरी 2017 से 13 जनवरी 2017 तक	माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा अन्य विभागों के मान. मंत्रीगण से बजट प्रस्तावों पर चर्चा
7.	07 जनवरी, 2017	दिनांक 31.12.2016 तक बकाया गारंटियों की जानकारी वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
8.	31 मार्च, 2017	प्रशासकीय विभागों द्वारा पुनर्विनियोजन/समर्पण के आदेश जारी करने हेतु अंतिम तिथि

